2011 का विधेयक संख्यांक 122

[दि एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2011 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें व-र्ा में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) के खंड (ग) में उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 2002 का 54

"(ivक) बहुराज्य सहकारी बैंक ; या"।

धारा 9 का संशोधन।

3. धारा 9 में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में ऋण के किसी भाग का संपरिवर्तन :

परंतु उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में ऋण के किसी भाग के संपरिवर्तन को सदैव विधिमान्य समझा जाएगा मानो कि इस खंड के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।" ।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (3क) में, "एक सप्ताह के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "पंद्रह दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(5क) जहां ऐसी किसी स्थावर संपत्ति, जिसके लिए आरक्षित कीमत विनिर्दि-ट की गई है, के विक्रय को उस आरक्षित कीमत से कम रकम की बोली के अभाव में मुल्तवी किया गया है वहां प्रतिभूत लेनदार के किसी अधिकारी, यदि इस निमित्त प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी पश्चात्वर्ती विक्रय में प्रतिभूत लेनदार की ओर से स्थावर संपत्ति के लिए बोली लगाए ।

(5ख) जहां उपधारा (5क) में निर्दि-ट प्रतिभूत लेनदार को किसी पश्चात्वर्ती विक्रय में स्थावर संपत्ति का क्रेता घोि-त किया जाता है वहां क्रय कीमत की रकम का समायोजन प्रतिभूत लेनदार के दावे की उस रकम के लिए किया जाएगा जिसके लिए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के लिए नीलामी की गई है ।

(5ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 9 के उपबंध, यथाशक्य, उपधारा (5क) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा अर्जित स्थावर संपत्ति को लागू होंगे ।"। 1949 का 10

धारा 14 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु प्रतिभूत लेनदार द्वारा दिए गए आवेदन के साथ प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिज्ञात एक शपथपत्र जिसमें सम्यक् रूप से निम्नलिखित प्रतिज्ञान किया जाएगा कि—

(i) आवेदन फाइल करने की तारीख को स्वीकृत वित्तीय सहायता की कुल रकम और बैंक का कुल दावा : और

(ii) उधार लेने वाले ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित सृजित किया है और बैंक या वित्तीय संस्था का ऐसी संपत्तियों पर विधिमान्य और अस्तित्वशील प्रतिभूति हित है तथा बैंक या वित्तीय संस्था का दावा परिसीमा अवधि के भीतर है;

(iii) उपर्युक्त उपखंड (ii) में निर्दि-ट संपत्तियों के ब्यौरे देने वाली विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित सृजित किया है;

(iv) उधार लेने वाले ने मंजूर की गई वित्तीय सहायता का प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम किया है जो विनिर्दि-ट रकम का कुल योग है;

(v) वित्तीय सहायता के प्रतिसंदाय में ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप उधार लेने वाले के खाते को एक अपालन आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(vi) यह अभिपुष्ट करते हुए कि धारा 13 की उपधारा (2) के उपबंधों द्वारा यथा अपेक्षित साठ दिन की अवधि की सूचना, जिसमें व्यतिक्रमित वित्तीय सहायता का संदाय करने की मांग की गई है, उधार लेने वाले को तामील की गई है;

(vii) उधार लेने वाले से सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेप या अभ्यावेदन पर प्रतिभूत लेनदार द्वारा विचार किया गया है और ऐसे आक्षेप या अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के कारणों को उधार लेने वाले को संसूचित कर दिया गया है;

(viii) उपर्युक्त सूचना के होते हुए भी उधार लेने वाले ने वित्तीय सहायता का कोई प्रतिसंदाय नहीं किया है और प्राधिकृत अधिकारी इसलिए मूल अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है;

(ix) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है:

परंतु यह और कि प्राधिकृत अधिकारी से शपथपत्र प्राप्त होने पर, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का शपथपत्र की अंतर्वस्तु पर समाधान हो जाने के पश्चात् वह प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा;

परंतु यह भी कि प्रथम परंतुक में उल्लिखित शपथपत्र फाइल करने की अपेक्षा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को, यथास्थिति, किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्रवाई को लागू नहीं होगी;";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह,—

(i) ऐसी आस्तियों का कब्जा और उससे संबंधित दस्तावेज ले; और

(ii) प्रतिभूत लेनदार को ऐसी आस्तियां और दस्तावेज प्रेनित करे।'';

(ग) उपधारा (3) में, ''जिला मजिस्ट्रेट'' शब्दों के पश्चात् ''मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 18ग का अंतःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केवियट दाखिल करने का अधिकार।

''18ग. (1) जहां धारा 17 की उपधारा (1) या धारा 17क या धारा 18 की उपधारा (1) या धारा 18ख के अधीन कोई आवेदन या अपील करने की प्रत्याशा की गई है वहां, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के अधिकार का दावा करने वाला प्रतिभूत लेनदार या कोई व्यक्ति ऐसे आवेदन या अपील की सुनवाई के पश्चात् उनके संबंध में केवियट दाखिल कर सकेगा;

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दाखिल की गई है,—

(क) वहां ऐसा प्रतिभूत लेनदार जिसके द्वारा केवियट दाखिल की गई है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है) वह उपधारा (1) के अधीन जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया है या आवेदन किए जाने की प्रत्याशा है उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक, द्वारा केवियट की सूचना तामील करेगा;

(ख) जिस व्यक्ति द्वारा केवियट दाखिल की गई है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् केवियटकर्ता कहा गया है) वह उपधारा (1) के अधीन जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया है या आवेदन किए जाने की प्रत्याशा है उस व्यक्ति को रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा केवियट की सूचना तामील करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी केवियट को दाखिल करने के पश्चात्, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन या अपील फाइल की जाती है वहां, यथास्थिति, अधिकरण या जिला न्यायाधीश का न्यायालय या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय केवियटकर्ता पर आवेदक या अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन या अपील की सूचना तामील करेगा।

(4) जहां आवेदक या अपीलार्थी पर किसी केवियट की सूचना तामील की गई है वहां वह कालिकतः केवियटकर्ता को आवेदन या उसके द्वारा की गई अपील की प्रति और अपने आवेदन या अपील के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किया गया कोई कागजपत्र या दस्तावेज की प्रतियां प्रेनित करेगा।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई केवियट दाखिल किया गया है वहां ऐसा केवियट दाखिल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह तब तक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उपधारा (2) में निर्दि-ट आवेदन या अपील न की गई हो।''

धारा 23 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतिकरण के सभी संव्यवहार या आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित का सृजन जो कि धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण की स्थापना की तारीख को या उससे

पहले अस्तित्व में है ऐसी अवधि के भीतर उनके रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसी फीस के संदाय कर सकेगी जो विहित की जाए।"।

नई धारा 26क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

रजिस्ट्रीकरण उपांतरण और समाधान आदि के विषयों में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिशोधन।

"26क. (1) केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) किसी प्रतिभूतिकरण के संव्यवहार, आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित या उपांतरण या ऐसे संव्यवहार के समाधान की विशि-टियों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने का लोप या, मूल अधिनियम की धारा 23 या धारा 24 या धारा 25 के अनुसरण में ऐसे संव्यवहार या उपांतरण के संबंध में या किसी समाधान या की गई अन्य प्रवि-टि के संबंध में किसी विशि-टि का लोप या मिथ्या कथन सांयोगिक था या अवधानता के कारण था या किसी अन्य पर्याप्त कारण से था या यह उधार लेने वाले की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की प्रकृति का नहीं है; या

(ख) अन्य आधारों पर यह अनुतो-ा प्रदान करने के लिए न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है,

प्रतिभूति लेनदार या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या ऐसे निबंधन और शर्तों पर हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार को ठीक और समीचीन प्रतीत हो, यह निदेश दे सकेगी कि रजिस्ट्रीकरण या उपांतरण या समाधान के लिए संव्यवहार की विशि-टियों के फाइल किए जाने का समय बढाया जाएगा या जो मामला अपेक्षा करे, लोप या मिथ्या कथन का सुधार किया जाएगा।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति हित के संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण या प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन या उपांतरण या उसके समाधान के लिए समय बढ़ाती है वहां आदेश, संबद्ध संपत्ति की बाबत अर्जित किए गए किन्हीं अधिकारों या वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हुए संव्यवहार से पूर्व किसी वित्तीय आस्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।"।

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपराधों का संज्ञान।

"30. (1) कोई न्यायालय धारा 23, धारा 24 या धारा 25 के उपबंधों के अननुपालन के संबंध में धारा 27 के अधीन या धारा 28, धारा 29 या अधिनियम के अन्य उपबंधों के अननुपालन के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त लिखित में साधारणतया या विशे-ातया, प्राधिकृत केन्द्रीय रजिस्ट्री के किसी अधिकारी या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में परिवाद किए जाने पर ही संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

नई धारा 31क का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को छूट देने की शक्ति।

"31क. केन्द्रीय सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध,—

(क) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होगा; या

(ख) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा,

जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या, ऐसे उपांतरित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों।"।

अध्याय 3

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन।

11. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में, खंड (घ) में उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1993 का 51

"(vi) कोई बहुराज्य सहकारी बैंक ;"।

धारा 18 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 18 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवर्तन होने की तारीख से पहले किसी बहुराज्य, सहकारी बैंक के समक्ष लंबित शोध्य ऋण की वसूली से संबंधित कार्यवाहियां, किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित वसूली कार्यवाहियां, बनी रहेंगी और इस धारा में अंतर्वि-ट कोई बात ऐसे प्रारंभ के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी।" ।

धारा 19 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) प्रत्येक बैंक जो धारा 2 के खंड (घ) के उपखंड (vi) में निर्दि-ट बहुराज्य सहकारी बैंक है, अपने विकल्प पर इस अध्याय में आवेदन करने के बजाय किसी व्यक्ति से ऋण को, चाहे वह प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् शोध्य हो या नहीं वसूल करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में निर्दि-ट किसी न्यायालय या केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाहियां आरंभ करने का विकल्प ले सकेगा। 2002 का 39

(1ख) यदि धारा 2 के खंड (घ) के उपखंड (vi) में निर्दि-ट बहुराज्य सहकारी बैंक होते हुए किसी बैंक ने इस अध्याय के अधीन कोई आवेदन फाइल किया है और तत्पश्चात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में निर्दि-ट किसी न्यायालय या केन्द्रीय रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऋण वसूल करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने के प्रयोजन के लिए आवेदन वापस लेने का विकल्प लेता है तो वह ऐसा अधिकरण की अनुज्ञा से कर सकेगा और उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन वापस करने के लिए अधिकरण से अनुज्ञा मांगने वाले 2002 का 39

ऐसे प्रत्येक आवेदन पर यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और ऐसे आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका निपटान किया जाएगा:

परंतु यदि अधिकरण इस उपधारा के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन के वापस लिए जाने की अनुज्ञा की मंजूरी से इंकार करता हो तो वह इसके कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (20) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(20क) जहां अधिकरण के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि किसी ऐसे विधिपूर्ण करार या लिखित में किए गए ऐसे समझौते, जिस पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, द्वारा पूर्णतः या भागतः अपीलार्थी के दावे का समायोजन किया गया है या जहां प्रतिवादी ने आवेदक के दावे का प्रतिसंदाय कर दिया है या प्रतिसंदाय करने के लिए सहमत हुआ है वहां अधिकरण ऐसे करार, समझौते या दावे के समाधान को अभिलिखित करके आदेश पारित कर सकेगा।"।

धारा 31 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 31 में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले किसी बहुराज्य सहकारी बैंक के समक्ष लंबित शोध्य ऋण की वसूली से संबंधित वसूली की कार्यवाहियां, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन बनी रहेंगी और इस धारा में अंतर्वि-ट कोई बात ऐसी कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी।"।

2002 का 39

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन और उससे संबद्ध या अनुषंगी विषयों का विनियमन करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। पूर्वोक्त अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दीर्घ अवधि आस्तियों की वूसली करने, समापन की समस्याओं का प्रबंध करने, आस्ति दायित्व का मेल न होना और प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने की शक्ति का प्रयोग करके वसूली में सुधार लाने, उनका विक्रय करने और वसूली या पुनर्गठन के उपायों को अंगीकार करके गैर–कार्यशील आस्तियों को कम करने के लिए सक्षम बनाता है। पूर्वोक्त अधिनियम आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत, उधार लेने वाले की प्रतिभूत आस्तियों, जिनमें पट्टे के माध्यम से अंतरण का अधिकार प्रतिभूत आस्तियों के समनुदेशन या विक्रय और वसूली तथा उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध को ग्रहण करना भी है।

2. इस समय वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन–(क) पुनर्गठन कंपनियों या प्रतिभूतिकरण कंपनियों को अपने ऋणों को कारबार पुनर्गठन या पुनर्वासन के मामलों में साम्या में संपरिवर्तित करने की या उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुनरुज्जीवित करने की सुविधा नहीं है; (ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएं उधार लेने वालों के अभ्यावेदनों पर विचार करने और उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपेक्षित सात दिनों की अवधि के भीतर अपने प्रत्युत्तर से उन्हें संसूचित करने को कठीन पाती हैं; (ग) यद्यपि, प्रतिभूत लेनदारों के रूप में बैंक व्यतिक्रम उधारों को वसूलने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय करने के लिए सशक्त है, यदि बोली लगाने के लिए कोई बोलीदाता नहीं आता है या बैंक ऐसी आस्तियों को खरीदने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन किसी क्रेता का पता लगाने में असमर्थ रहते हैं तो वे व्यतिक्रमी उधार लेने वाले के विरुद्ध दावे को पूरा करने के लिए संपत्तियों को पूर्णतया या भागतः स्वीकार करने के लिए सशक्त नहीं हैं; (घ) बैंकों या व्यक्तियों द्वारा व्यतिक्रमी उधार लेने वाले के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण में दाखिल किए गए आवेदन के विरुद्ध केवियट दाखिल करने के लिए कोई समर्थकारी उपबंध नहीं है।

3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का उपबंध करता हैः–

(क) ऋण के किसी भाग को उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन का उपबंध करता है और ऐसे संपरिवर्तन को हमेशा वैध माना जाएगा मानो कि उक्त संपरिवर्तन के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर लागू थे;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन ''बैंक'' की परिभाषा में बहुराज्य सहकारी बैंकों को शामिल करना;

(ग) उधार लेने वाले के अभ्यावेदनों पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के प्रत्युत्तर की अवधि को सात दिनों से बढ़ाकर पन्द्रह दिन करना;

(घ) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को व्यतिक्रमी उधार लेने वाले के विरुद्ध बैंक के दावे को चुकाने के लिए स्थावर संपत्ति को भागतः या पूर्णतः स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए;

(ङ) बैंकों या किसी व्यक्ति को केवियट दाखिल करने के लिए सक्षम बनाना जिससे

कोई स्थगन प्रदान करने से पहले ऋण वसूली अधिकरण द्वारा बैंक या ऐसे व्यक्ति को सुना जाए;

(च) केंद्रीय रजिस्ट्री में प्रतिभूतियों के संव्यवहार, पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के सृजन, जो कि केंद्रीय रजिस्ट्री के गठन को या उससे पूर्व विद्यमान थे, के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना और केंद्रीय सरकार को केंद्रीय रजिस्ट्री के पास ऐसे संव्यवहार को फाइल करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए शक्तियां प्रदान करना।

4. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का अधिनियमन ऋण वसूली अधिकरणों की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली के त्वरित न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन, विधिक विसंगतियों को दूर करने और वूसली अधिकरणों को सुदृढ़ करने का विनिश्चय करने के लिए उक्त अधिनियम को वर्ष 1995, वर्ष 2000 और वर्ष 2004 में संशोधित किया गया था। ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से वसूली के उपय बहुराज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं हैं। बहुराज्य सहकारी बैंकों को अतिरिक्त और प्रभावी वसूली तक उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बहुराज्य सहकारी बेंकों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण द्वारा वसूली के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने का विकल्प प्रदान करना आवश्यक समझा गया है।

5. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात्:—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन ''बैंक'' की परिभाषा में बहुराज्य सहकारी बैंकों को शामिल करना;

(ख) बहुराज्य सहकारी बैंकों को प्रस्तावित विधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, शोध्य ऋणों के संबंध में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन या ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए विकल्प लेने के लिए अनुज्ञात करना;

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उधार लेने वालों के साथ परिनिर्धारण या समझौता करने के लिए और ऋण वसूली अधिकरण को ऐसे परिनिर्धारण या समझौते की अभिस्वीकृति का आदेश पारित करने के लिए सक्षम बनाना;

(घ) किसी बहुराज्य सहकारी बैंक के शोध्य ऋणों की वसूली के संबंध में प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवर्तन से पूर्व लंबित वसूली कार्यवाहियां उसी रीति में जारी रहेंगी मानों कि प्रस्तावित संशोधन प्रवर्तन में नहीं आए थे।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
30 नवम्बर, 2011

प्रणब मुखर्जी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 23 का संशोधन करके केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा प्रतिभूतिकरण के सभी संव्यवहारों या आस्तियों के पुनर्गठन या प्रतिभूति हितों के सृजन, जो 31 मार्च 2011 को या उसके पूर्व विद्यमान थे अर्थात् केन्द्रीय रजिस्ट्री के गठन की तारीख को, के रजिस्ट्रीकरण के लिए सशक्त करता है।

2. वे विषय जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकेगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः शक्तियों को प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) से उद्धरण

अध्याय 3

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन।

13. (1)* * * * *

(3क) यदि, उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, उधार लेने वाला कोई अभ्यावेदन करता है या कोई आक्षेप करता है तो प्रतिभूत लेनदार, उस अभ्यावेदन या आक्षेप पर विचार करेगा और यदि प्रतिभूति लेनदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा अभ्यावेदन या आक्षेप स्वीकार्य या मान्य नहीं है तो वह ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर, अभ्यावेदन या आक्षेप को अस्वीकार करने के कारण उधार लेने वाले को संसूचित करेगा :

परंतु इस प्रकार संसूचित किए गए कारण या कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदार की संभावित कार्रवाई उधार लेने वाले को धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण या धारा 17क के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

* * * * *

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता करना।

14. (1) * * * * *

(3) इस धारा के अनुसरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया कोई कार्य किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

* * * * *

अपराध का संज्ञान।

30. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

बैकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(घ) ''बैंक'' से अभिप्रेत है,—

(v) कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक;

* * * * *

GMGIPMRND—2966LS—05.12.2011.